लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
051/2022 (GCMS 2022/255)	10.08.2022	30.08.2022

अनवान

रूपलाल शर्मा पिता डालचंद मेनारिया निवासी हनुमानजी के मंदिर के पीछे, चन्देरिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 28.06.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./051/2022(सू.अ.)(24.08.2022)/626 दिनांक 10.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 24.08.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 24.08.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 24.08.2022 को स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/809 दिनांक 22.08.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी रूपलाल पिता डालचन्द मेनारिया निवासी चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 29.06.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/278 दिनांक 11.07.2022 से सूचना उपलब कराने हेतु लिखा गया, जिस पर आदिनांक सूचना अप्राप्त हैं। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से यथाशीघ्र प्राप्त कर प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी। इस हेतु संबंधित को स्मरण पत्र जारी किया जा चुका हैं।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/809 दिनांक 22.08.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके साथ ही अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/278 दिनांक 11.07.2022 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया हैं। परन्तु प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदिनांक तक अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। एवं ना ही अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य कि उसे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, उचित प्रतीत होता हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित कार्यालय (राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़) से 30 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.08.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
30.08.2022